बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

—:: अधिसूचना ::—

संख्या—17/प्रो.—07—01/2018, सा.प्र...../ पटना—15, दिनांकः— .....

सिविल अपील सं.—16376/2017 (एस.एल.पी.(सी.) सं.—8057/2009 से उद्भूत) चन्द्रशेखर प्रसाद राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं0—66 दिनांक 19.02.2018 द्वारा वरीयता पुनर्निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप सर्वश्री रामानन्द ठाकुर (व0क्र0—3069'क'), प्रेम कुमार साह (व0क्र0—3069'ख'), सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा (व0क्र0—3069'ग') एवं श्याम सुन्दर प्रसाद (व0क्र0—3069'घ'), सहायकों को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित बैण्ड वेतन ₹9300—34,800/— + ग्रेड वेतन ₹4800/— पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल—9 में दिनांक 01.12.2017 से वैचारिक प्रोन्नति/प्रभार ग्रहण की तिथि से औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं.—4880/2017 (एस.एल.पी.(सी.) सं.—29770/2015 से उद्भूत) बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल.पी.ए. सं.—173/2018 बिहार राज्य बनाम सुनील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—
(बिजय कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—17/प्रो.—07—01/2018, सा.प्र...../ पटना—15, दिनांकः— .....

प्रतिलिपिः— ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—17/प्रो.—07—01/2018, सा.प्र...../ पटना—15, दिनांकः— .....

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—17/प्रो.—07—01/2018, सा.प्र...../ पटना—15, दिनांकः— .....

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—15 एवं 16, सामान्य प्रशासन विभाग/श्री रामानन्द ठाकुर (व0क्र0—3069'क'), सेवानिवृत्त सहायक, लघु जल संसाधन विभाग/श्री प्रेम कुमार साह (व0क्र0—3069'ख'), सहायक, निगरानी विभाग/श्री सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा (व0क्र0—3069'ग'), सेवानिवृत्त सहायक, निगरानी विभाग एवं श्री श्याम सुन्दर प्रसाद (व0क्र0—3069'घ'), सहायक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक—17/प्रो.—07—01/2018, सा.प्र. 7158/ पटना—15, दिनांकः— 31.5.18

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31.05.18
सरकार के अवर सचिव।